तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 76 / 2017 सावित्री देवी बनाम राजेन्द्र कुमार आदि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क(1) आर.टी.एक्ट	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
29.07.2019	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु चक 44 एन पी मु.नं. 40 प.नं. 237/318 के कि.नं. 15–16–25 में 2–2 बिस्वा पूर्वी पासा व कि.नं. 14–15 में 2–2 बिस्वा उत्तरी पासा कुल 10 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलव किया गया। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 44 एन पी के मु.नं. 40 की 2.150है भूमि प्रार्थीया के नाम से हैं इसके अलावा इसी चक के मु.नं. 39 के 22 बीघा भूमि प्रार्थीया के पति के नाम हैं, प्रार्थीया के पति मन्शा राम की मृत्यु हो चुकी है अतः उक्त भूमि भी विरास्त में प्रार्थीया को आएगी। प्रार्थीया द्वारा मांग करने पर अनावेदकगण की कृषि भूमि के बीच से रास्ता स्वीकार करने पर भूमि दो भागों में कर दी जाएगी जिससे काश्त करने, सिंचाई सुविधा में व तारबन्दी में बहुत कठिनाई होगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज किया जावे। भू अभिलेख निरीक्षक भोमपुरा से मौका जांच रिपोर्ट ली गयी। मुताबिक भू अभिलेख निरीक्षक भोमपुरा रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीया द्वारा राजेन्द्र कुमार आदि की कृषि खातेदारी भूमि चक 44 एन पी मु.नं. 40 प.नं. 237/318 कि.नं. 15–16–25 में पूर्वी पासा एवं 14–15 में उत्तरी पासा में पंहुच मार्ग चाहा हैं इससे अप्रार्थीगण की भूमि दो भागों में विभक्त होती हैं। भू अभिलेख निरीक्षक भोमपुरा की रिपोर्ट के बिन्दु सं. 5 के अनुसार प्रार्थीया वर्तमान में चक 44 एन पी के मु.नं. 35 के कि0नं. 1–10–11–20–21 में आवाजाही करती हैं। जो प्रचलित रास्ता हैं। जिसका राजस्व रिकार्ड में अंकन नही हैं। बहस पक्षकारान सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। मुताबिक रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक भोमपुरा के प्रार्थीया के पास अपनी भूमि में आवाजाही हेतु रास्ता उपलब्ध हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं। लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया भू अभिलेख निरीक्षक भोमपुरा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हाने के कारण खारिज किया जाता हैं। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फँसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (संदीप कुमार) उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर	

Scanned by CamScanner